राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन–सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना–800022

ई–मेल–pr.rajbhavan@gmail.com
prrajbhavanbihar@gmail.com
मोबाईल–9431283596

प्रेस–विज्ञप्ति

राज्यपाल–सह–कुलाधिपति ने राज्य के दो विश्वविद्यालयों के लिए नये कुलपति/प्रतिकुलपति नियुक्ति किये

पटना, 10 मार्च 2019

महामहिम राज्यपाल–सह–कुलाधिपति श्री लाल जी टंडन ने 'बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976' (अद्यतन यथासंशोधित) की सुसंगत धाराओं में अंतर्निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित दो विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति/प्रतिकुलपति पद के लिए नियुक्तियाँ कर दी है।

कुलाधिपति ने इन दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपति/प्रतिकुलपति की नियुक्ति के लिए गठित 'सर्च कमिटी' की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार से प्रभावी एवं सार्थक विमर्श के बाद निम्नांकित शिक्षाविद्ों को कुलपति/प्रतिकुलपति के रूप में नियुक्त किया हैः–

विश्वविद्यालय का नाम	पद का नाम	नवनियुक्त कुलपति/प्रतिकुलपति का नाम
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	कुलपति	प्रो॰ देवी प्रसाद तिवारी
पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया	प्रतिकुलपति	प्रो॰ राज नाथ यादव

नव–नियुक्त कुलपति/प्रतिकुलपति का कार्यकाल उनके प्रभार–ग्रहण की तिथि से प्रारंभ होकर तीन वर्षों का होगा।

....